<u>लोक सभा</u>

अतारांकित प्रश्न संख्या 4733

23 मार्च, 2020 को उत्तर के लिए

विशाखापत्तनम में इस्पात संयंत्र

4733. डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवतीः

श्री एम.वी.वी. सत्यनारायणः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र) ने इस्पात संयंत्रों का निर्माण करते समय लंकेनपलेम, अगनामपुडी, परवाडा आदि में ग्रामीणों से जमीन का अधिग्रहण करते समय उन्हें पुनर्वास कार्ड/विस्थापित व्यक्ति कार्ड प्रदान कर उपयुक्त नौकरी देने का वायदा किया था;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने व्यक्तियों को पुनर्वास कार्ड/विस्थापित व्यक्ति कार्ड जारी किया गया था और वे नौकरी के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं तथा इनमें से कितने व्यक्तियों को विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में रोजगार दिया गया था;

(ग) क्या सरकार 40 वर्ष तथा इससे अधिक उम्र के पुनर्वास कार्ड/विस्थापित व्यक्ति कार्ड प्राप्त व्यक्तियों में प्रत्येक व्यक्ति को दस लाख रुपए तक की क्षतिपूर्ति देने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र का प्रबंधन पुनर्वास कार्ड/विस्थापित कार्ड में नाम का परिवर्तन कर उनके बच्चों को रोजगार प्राप्त करने की अनुमति प्रदान कर रहा है?

<u>उत्तर</u>

इस्पात मंत्री **(श्री धर्मेंद्र प्रधान)**

(क) और (ख): राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के लिए भूमि का अधिग्रहण भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 और भूमि अधिग्रहण अधिनियम-1972 के उत्तरवर्ती संशोधनों के अनुसार आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किया गया था। अन्य गाँवों के साथ लंकेलापलेम और अगनामपुडी गांवों की भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है लेकिन परावदा गांव जो इस्पात संयंत्र से दूर है,

में भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया है। वर्ष 1981 में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई थी जिसमें तत्कालीन सचिव, इस्पात मंत्रालय, विशाखापट्टनम के तत्कालीन आयुक्त और पदेन सचिव, उद्योग विभाग, आन्ध्र प्रदेश सरकार ने भाग ली थी जिसमें आरआईएनएल के लिए योजनाबद्ध 20,000 कर्मचारियों की कुल कार्मिक शक्ति में से, 5000 विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने का निर्णय लिया गया था। आरआईएनएल ने 5000 विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार देने की वचनबद्धता के मुकाबले दिनांक 29.02.2020 तक 8008 विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया है। इसके अलावा, पुनर्वास कार्ड (आर. कार्ड) आंध्रप्रदेश सरकार द्वारा जारी किया जाता है, ना कि आरआईएनएल द्वारा, क्योंकि विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

जिला समाहर्ता, विशाखापट्टनम के दिनांक 05.07.2015 के पत्र सं. 689/93/आर-1 के अनुसार भूमि अधिग्रहण के संबंध में चिन्हित विस्थापित व्यक्तियों की संख्या 16,850 है। कनिष्ठ नियोजन अधिकारी, उप-नियोजक कार्यालय, गजुवाका, विशाखापट्टनम (जो आरआईएनएल के विस्थापित व्यक्तियों के लिए ही स्थापित है) से प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 31.01.2020 तक की स्थिति के अनुसार मौजूदा रजिस्टर में 7463 विस्थापित व्यक्ति उपलब्ध हैं।

(ग): ऐसा कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ): आन्ध्र प्रदेश सरकार ऐसे विस्थापित व्यक्तियों जिनको रोजगार प्राप्त नहीं हुआ है, के लिए पुनर्वास कार्ड में उनके आश्रित सदस्यों को नामित करती है।

****